न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।

उपस्थितः रणजीत कुमार, (एच0जे0एस0) जे0ओ0 कोड–यू.पी. 6509

CNR No. UPJP010003972004

विशेष सत्र परीक्षण सं0–91/2004

उ0प्र0 राज्य..... ..... **.....अभियोगी**

बनाम

1. अमरेश बहादुर सिंह पुत्र रामदुलार सिंह **(दौरान विचारण मृतक)**
2. फतेहबहादुर सिंह पुत्र रामदुलार सिंह **(दौरान विचारण मृतक)**
3. समरबहादुर सिंह पुत्र रामदुलार सिंह **(दौरान विचारण मृतक)**
4. पप्पू पुत्र समर बहादुर सिंह
5. बबलू पुत्र अमरेश बहादुर सिंह

निवासीगण नहोराडीह, थाना जलालपुर, जिला जौनपुर।

.....अभियुक्तगण

मुत0 सं0–107/1997
धारा–147, 323, 374, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–जलालपुर, जिला जौनपुर।

निर्णय

1. मुत0 नं0 107/1997, श्रीमती रीता देवी बनाम सरकार में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा अभियुक्तगण अमरेश बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह, बबलू एवं पप्पू को धारा 147, 323, 374, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (vi) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में तलब किये जाने के उपरान्त विचारण कार्यवाही की गई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रीता देवी द्वारा पुलिस अधीक्षक जौनपुर के समक्ष इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि वह गरीब व जाति की हरिजन महिला है। उसके गांव के अमरेश बहादुर सिंह व उनके परिवार के लोग हावी व दबंग व्यक्ति हैं, तथा बराबर उससे

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.12 16:47:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बेगारी के काम कराते रहते हैं, और मजदूरी मांगने पर तरह–तरह से परेशान करते हैं। दिनांक 13.12.1996 को करीब 12 बजे दिन अमरेश बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह व पप्पू ने उसको तबीयत खराब होने के कारण बेगारी पर काम न करने के कारण मारा–पीटा था, जिसकी सूचना उसने थाना जलालपुर में किया था, थाना पर उसकी रपट न लिखे जाने के कारण उसने रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक के यहां सूचना दिया परन्तु पुलिस इलाका ने कोई कार्यवाही नहीं किया, इस दरखास्त की जानकारी उक्त अमरेश बहादुर सिंह आदि को दी गयी, जिससे वे बहुत नाराज हुए। घटना दिनांक 22.01.1997 समय करीब 12 बजे दिन की है, वह अपने दरवाजे पर मौजूद थी, उसके पति सन्तलाल व श्वसुर रामसामुझ भी घर के पास खेत में काम कर रहे थे कि अमरेश बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह, बबलू व पप्पू उसके दरवाजे पर आकर उसको मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे तथा कहने लगे कि चमाइन की जात हम लोगों के खिलाफ दरखास्त दी हो, उसने कहा कि क्यों गाली दे रहे हो, इस पर अमरेश बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह, व फतेह बहादुर सिंह ने ललकारा कि मारो साली चमाइन को, इस पर बबलू ने हाथ में लिये ईंख से व हाथ में लिये बांस की छड़ी से उसको मारा। उसके पति व श्वसुर बचाने दौड़े तो अमरेश बहादुर सिंह व समर बहादुर सिंह ने उनका हाथ पकड़कर मारा तथा जमीन पर बैठाये रहे। फतेह बहादुर सिंह ललकारते रहे तथा पप्पू उसको घूसा से मारते रहे। जाते समय उसको मारने की धमकी दिये। वह अपने पति व श्वसुर के साथ रपट करने थाने पर जा रही थी कि रास्ते में अमरेश बहादुर सिंह रास्ता घेरे थे, और कहे कि सीधे से घ ार चली जाओ नहीं तो घर फूंक देंगे तथा गांव से निकाल देंगे।

3. वादिनी मुकदमा श्रीमती रीता हरिजन के उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर पुलिस अधीक्षक के आदेश से थाना जलालपुर में अभियुक्त अमरेश बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह, पप्पू व बबलू के विरूद्ध मु0अ0सं0 47/1997 धारा 147, 323, 504, 506, 374 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (vi) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान गवाहों के बयान लिये गये और घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गया। तमामी विवेचना, गवाहों के बयान व संकलित साक्ष्य के उपरान्त विवेचक द्वारा घटना का घटित न होना एवं केवल जमीन के विवाद की रंजिश के कारण झूठा व फर्जी मुकदमा लिखाया जाना पाते हुए मामले में अंतिम रिपोर्ट 2/1997, दिनांकित 03.02.1997 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वादिनी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी, जिसके अनुक्रम में वादिनी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई उपरान्त विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा

मुत0 नं0 107/1997, श्रीमती रीता देवी बनाम सरकार में दिनांक 26.03.1998 को अभियुक्तगण अमरेश बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह, बबलू एवं पप्पू को धारा 147, 323, 374, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (vi) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया गया।

6. अभियुक्तगण का मामला अनन्य रूप से विशेष सत्र परीक्षणीय होने के कारण विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0 12, जौनपुर द्वारा दिनांक 28.05.2004 को पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी। सत्र सुपुर्द होने के पश्चात् प्रकरण विशेष सत्र परीक्षण संख्या 91/2004 स्टेट बनाम अमरेश एवं अन्य के रूप में पंजीकृत हुआ।

7. न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2004 को अभियुक्तगण अमरेश बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह, बबलू एवं पप्पू के विरूद्ध धारा 147, 323/149, 504, 506, 374 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के दण्डनीय अपराध में आरोप सृजित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया एवं विचारण की मांग की गई।

8. दौरान विचारण अभियुक्तगण अमरेश बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह एवं फतेह बहादुर सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्त अमरेश बहादुर सिंह के विरूद्ध आपराधिक वाद की कार्यवाही दिनांक 06.10.2025 को एवं अभियुक्तगण समर बहादुर सिंह व फतेह बहादुर सिंह के विरूद्ध आपराधिक वाद की कार्यवाही दिनांक 28.01.2026 को उपशमित की जा चुकी है। वर्तमान में शेष अभियुक्तगण बबलू एवं पप्पू का विचारण चल रहा है।

9. अभियोजन द्वारा दौरान विचारण कथन किया गया कि तथ्य के साक्षीगण श्रीमती रीता देवी, रामसमुझ एवं संतलाल की मृत्यु हो चुकी है, अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को धारा 294 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत स्वीकार कर लिये जाने के कारण उन पर नियमानुसार प्रदर्श डालकर अभियोजन साक्ष्य के अवसर को समाप्त किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आपत्ति रीता देवी प्रदर्श–क–1, प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रदर्श–क–2, शपथपत्र प्रदर्श–क–3, इंजरी रिपोर्ट रीता देवी प्रदर्श–क–4, प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक प्रदर्श–क–5 दाखिल किये गये हैं।

10. दिनांक 11.03.2026 को अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया, अभियोजन प्रपत्रों की मात्र औपचारिक सत्यता स्वीकार होना बताया, मुकदमा रंजिशन चलना बताया, सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया और कथन किया कि वे निर्दोष हैं, उनके विरूद्ध फर्जी मुकदमा किया गया।

11. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

12. दौरान बहस विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित हैं, अतः उसे आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध किया जाए।

13. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन द्वारा तथ्य का कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

14. अभियोजन केस यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में 22.01.1997 को समय करीब 12 बजे दिन में अभियुक्तगण ने नाजायज मजमा कायम किया और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादिनी मुकदमा श्रीमती रीता हरिजन व उसके पति, श्वसुर को ईंख व बांस की छड़ी एवं लात घूसा से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया, भददी–भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दिया एवं वादिनी मुकदमा को उसकी इच्छा के विरूद्ध बेगारी पर श्रम कराने के लिए विधि विरूद्ध तौर पर विवश किया, अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों से अवनमित करने के आशय से साशय अपमानित किया।

15. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने वास्ते आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व होता है।

16. अभियोजन की ओर से तथ्य के किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन का यह कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा एवं तथ्य के अन्य साक्षीगण की मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा, अन्य चोटहिल साक्षी, कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अथवा तथ्य का कोई साक्षी परीक्षित नहीं हुआ है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में चूंकि अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में मात्र अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप स्थापित नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149, 504, 506, 374 भा0दं0सं0 एवं 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट स्थापित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण की दोषसिद्धि का कोई युक्तियुक्त एवं न्यायोचित आधार नहीं है। अभियुक्तगण बबलू एवं पप्पू साक्ष्याभाव में उसके विरूद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण सं0 91/2004, राज्य बनाम अमरेश एवं अन्य, थाना जलालपुर, जिला जौनपुर के प्रकरण में अभियुक्तगण बबलू एवं पप्पू को धारा 147,

323/149, 504, 506, 374 भा0दं0सं0 एवं 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में दाखिल जमानतनामें निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभाव मे रहेंगे।

दिनांक–12.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–12.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509